उत्तराखण्ड शासन,
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग –4,
पत्र संख्या– 326/xxiv–4/2009
देहरादून: दिनांक 07 जुलाई ,2009
शुद्विपत्र

अधिसूचना संख्या–226/xxiv–4/2009, दिनांक 10 जुलाई, 2009 के द्वारा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा–24 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में संस्थाओं के प्रधानों एवं अध्यापकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मियों के चयन हेतु बनाये गये विनियमों को स्वीकृत प्रदान की गयी है।

2. विनियमों के अध्याय–12 की धारा 16(ख) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

धारा 16 (ख) वर्तमान प्रावधान	धारा 16 (ख) संशोधित प्रावधान
ऐसे समस्त आवेदन पत्रों के साथ कोष पत्र की एक प्रतिलिपि यह दिखाते हुये कि 50.00 रू0 विषय के प्रति प्रश्न पत्र की दर से निर्धारित शुल्क दे दिया गया है अवश्य ही संलग्न होनी चाहिये प्रयोगात्मक की सन्निरीक्षा हेतु 50.00 रू0 का शुल्क प्रति प्रयोगात्मक विषय हेतु पृथक से देय होगा।	ऐसे समस्त आवेदन पत्रों के साथ कोषपत्र की एक प्रतिलिपि यह दिखाते हुए कि 40.00 रू0 विषय के प्रति प्रश्नपत्र की दर से निर्धारित शुल्क दे दिया गया है अवश्य ही संलग्न होना चाहिये प्रयोगात्मक की सन्निरीक्षा हेतु 40.00 का शुल्क प्रति प्रयोगात्मक विषय हेतु पृथक से देय होगा।

3. विनियम के अध्याय चौदह "इण्टरमीडिएट परीक्षा" की धारा 3 में संशोधन करते हुए क्रमांक–2 निम्नवत जोड़ा जाता है:–
क्रमांक–2 "परीक्षार्थी वैकल्पिक विषय के रूप में दो से अधिक भाषा नही ले सकेगा"

4. अधिसूचना संख्या–226/xxiv–4/2009, दिनांक 10 जुलाई, 2009 को मात्र इसी सीमा तक संशोधित माना जाए।

(डॉ0 राकेश कुमार)
सचिव

संख्या– (1)/xxiv–4/2009, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–
1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

..2

HS

6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक / सभापति, विद्यालयी शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल / कुमायूं मण्डल।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, हरिद्वार उत्तराखण्ड।
12. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

(पी0एल0 शाह)
उप सचिव

H.S